भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1454

जिसका उत्तर रविवार, 20 सितम्बर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक) को दिया जाना है।

किसानों को राजसहायता के लाभ

1454. श्री संगम लाल गुप्ताः
श्री सी.पी. जोशीः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री जॉन बर्लाः
श्री नायब सिंह सैनीः
श्री मनोज तिवारीः
श्री रवि किशनः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता का वांछित लाभ मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कंपनियों ने कम उत्पादन क्षमता दिखाने की रणनीति अपनाई है और प्रतिशत उत्पादन के आधार पर भारी राजसहायता प्राप्त कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गरीब और सीमांत किसानों को राजसहायता का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्री

(डी.वी. सदानंद गौड़ा)

(क) तथा (ख): किसानों को यूरिया सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध करवाई जा रही है। यूरिया की 45 किग्रा. की बोरी का एमआरपी 242 रुपये प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए यथा लागू प्रभार और कर शामिल नहीं हैं) और यूरिया की 50 किग्रा. की बोरी का एमआरपी 268 रुपये प्रति बोरी है (जिसमें नीम लेपन के लिए यथा लागू प्रभार और कर शामिल नहीं है)। भारत सरकार द्वारा यूरिया विनिर्माता/आयातक को फार्म गेट पर उर्वरकों की सुपुर्दगी लागत तथा यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार वसूली के बीच का अंतर राजसहायता के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को यूरिया की आपूर्ति राजसहायता प्राप्त दरों पर की जा रही है।

सरकार ने फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषकतत्व आधारित राजसहायता नीति कार्यान्वित की है। इस नीति के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त फास्फेटयुक्त एवं पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों पर उनके पोषकतत्व के आधार पर वार्षिक आधार पर निर्धारित राजसहायता की एक नियत राशि दी जाती है। इस नीति के तहत अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) कंपनियों द्वारा बाजार के उतार-चढ़ाव के अनुसार तर्कसंगत स्तर पर नियत किया जाता है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है।

तदनुसार, जो किसान इन उर्वरकों को खरीद रहा है, वह राजसहायता के लाभ की सुविधा प्राप्त कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, उर्वरक विभाग ने मार्च, 2018 से सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागू की है। डीबीटी प्रणाली के अंतर्गत खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को प्रत्येक खुदरा बिक्री दुकान पर स्थापित प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरणों के माध्यम से की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को विभिन्न उर्वरक ग्रेडों पर 100% राजसहायता जारी की जाती है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के माध्यम से की जाती है।

(ख) और (ग): वर्तमान में, राजसहायता का भुगतान उत्पादन क्षमता से जुड़ा हुआ नहीं है।

******